सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 270/12</u> निर्णय दिनांकः 23.07.2018

1. लाधुराम पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासी लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. राजाराम पुत्र रामचन्द्र बिश्नोई निवासी उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

रेस्पोडेन्ट्

**अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 29—04—1983**
**सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मु. बीकानेर**

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री श्यामदीन पड़िहार, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री तेजकरण गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

**—निर्णय—**

**1.** अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 29—04—1983 जिसके द्वारा अपीलांट को जोहड़पायतान व सार्वजनिक हित की भूमि विशेष आवंटन के तहत आवंटित की गई है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम)1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

**2.** विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि चक 1 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 66/10 तादादी 13 बीघा 10 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 66/11 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 66/2 में 7 बीघा, मुरब्बा नम्बर 66/3 में 3 बीघा कुल तादादी 27.06 बीघा तमाम कृत्य तथ्यों को छिपाते हुए तथा अपने धारण की भूमि को छिपाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन करवाया गया है। उक्त भूमि रिकार्ड व मौके पर जोहड़ पायतान व सार्वजनिक हित की भूमि होने कारण शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी। रस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत को अंधेरें में रखते हुए वादगत् भूमि का आवंटन बतौर विशेष आवंटन में करवाया गया है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि वादगत् भूमि के बाबत् संबंधित पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 26—02—1983 के अनुसार वादगत् भूमि स्पष्ट रूप से जोहड़ पायतार की भूमि है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जो भूमि जोहड़ पायतान, नदी, नालों, तलाब आदि के लिए आरक्षित भूमि हो, ऐसी भूमि का किसी भी परिस्थिति में आवंटन नहीं किया जा सकता है। अदालत मातहत इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। जो स्पष्ट रूप से विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व बिना कब्जे की जॉच किये, रेस्पोडेन्ट के धारण की भूमि व सिलिंग सीमा से अधिक भूमि उनके धारण में होने के बावजूद भी वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जो पूर्व में ही जोहड़ पायतान हेतु आरक्षित भूमि है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से की गई कार्यवाही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का आवंटन निरस्त किया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश राज्य हित, जनहित से संबंधित है। ऐसी स्थिति में

जहॉ प्रकरण में राज्यहित के साथ–साथ जनहित भी प्रभावित हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादगत् भूमि से अपीलांट का कोई लेना–देना नहीं है। अपीलांट की भूमि उक्त चक में नहीं ह। अपीलांट द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की नियत मात्र से रेस्पोडेन्ट के विरूद्व तमाम कार्यवाहियॉ की जा रही है। अपीलांट का कथन कि रेस्पोडेन्ट के धारण में सिलिंग सीमा से अधिक भूमि निहित है। इस बाबत् कोई दस्तावेजी रिकार्ड अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। रेस्पोडेन्ट के धारण में सिलिंग सीमा से अधिक भूमि है यह अलग से जॉच का विषय है। उक्त बिन्दु इस अपील की विषय वस्तु नहीं है। अपीलांट द्वारा झूठे तथ्य प्रस्तुत करते हुए अदालत को गुमराह किया जा रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि यदि अपीलांट रेस्पोडेन्ट के आवंटन से किसी प्रकार से पीड़ित है अथवा अपीलांट के कथनानुसार रेस्पोडेन्ट के धारण में पूर्व में सिलिंग सीमा से अधिक भूमि है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को सीलिंग कानून के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए थी अथवा जिला कलेक्टर के समक्ष 22(3) के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए थी। प्रकरण में अपीलांट रेस्पोडेन्ट के आवंटन से किस प्रकार प्रभावित है, साबित करने में असफल रहे है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या को आराजी जैर का आवंटन किया गया है।

प्रकरण में जहॉ तक वादगत् भूमि के जोहड़ पायतान के लिए आरक्षित होने का प्रश्न है, रेस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि में से अदालत मातहत के समक्ष जोहड़ पायतान हेतु आरक्षित 3 बीघा भूमि को गैर काश्त करार देकर आम जनता के हित में स्वीकृत की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं यह माना है कि जोहड़ पायतान हेतु 3 बीघा भूमि आरक्षित है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के आंवटन में से उक्त 3 बीघा भूमि जोहड़पायतान हेतु आरक्षित की जा चुकी है। शेष भूमि आज भी रेस्पोडेन्ट के धारण की भूमि है व उक्त भूमि पर आज भी रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट

को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अपीलांट रेस्पोडेन्ट के आवंटन से किस प्रकार व्यथित है स्पष्ट नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मुख्य आक्षेप यही है कि वादगत् भूमि जोहड़ पायतान की भूमि है। जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा जोहड़पायतान के लिए आरक्षित 3 बीघा भूमि ग्राम पंचायत द्वारा आरक्षित की जा चुकी है। लिहाजा अपीलांट की उक्त अपील का कोई औचित्य नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर चक 1 सीएचडी के के मुरब्बा नम्बर 66/10 तादादी 13 बीघा 10 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 66/11 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 66/2 में 7 बीघा, मुरब्बा नम्बर 66/3 में 3 बीघा कुल तादादी 27.06 बीघा आवंटन किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट को इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 13(ए) के अध्यधीन अन्य प्रस्तावित भूमि 1 सीएचडी के के मुरब्बा नम्बर 66/10 तादादी 13 बीघा 10 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 66/11 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 66/2 में 7 बीघा, मुरब्बा नम्बर 66/3 में 3 बीघा कुल तादादी 27.06 बीघा आवंटित की गई कि आराजी जैर रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद उपलब्ध है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश जैर अपील की पालना में निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है।

(3) प्रकरण में अपीलांट का यह कथन कि रेस्पोडेन्ट के धारण में पूर्व में ही सिलिंग सीमा से अधिक भूमि निहित है। ऐस स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के धारण की भूमि की जॉच किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। इसी के साथ अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि जोहड़ पायतान हेतु आरक्षित भूमि है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि शुद्व

(4) हमने अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत रखा था। अदालत मातहत द्वारा विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है।



(5) प्रकरण में अपीलांट का कथन कि आवंटी द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन करवाया गया है। **जबकि अपीलांट द्वारा ना तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि वे स्वयं उक्त आवंटन से किस प्रकार प्रभावित पक्षकार है।** अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मात्र एक शिकायती प्रार्थना पत्र के रूप में परिलक्षित होती है। यदि अपीलांट के उक्त कथन को स्वीकार भी कर लिया जावे कि अपीलांट द्वारा अपने धारण की भूमि को छिपाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन करवाया गया है, तो ऐसी स्थिति में अपीलांट उक्त आवंटन की शिकायत सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था। अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

(6) प्रकरण में यदि अपीलांट वादगत् भूमि के आवंटन से प्रभावित पक्षकार है तो ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अपरिहार्य है। जैसा की अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 1993 पेज 44 जिसमें स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि:—
Code of Civil Procedure, Section 96- The fact that a party is an aggrieved persons does not by itself entitle him to file an appeal if he was not a party to the dispute in the lower court - He must obtain the permission of the court for filing the appeal before actually doing so - An appeal filed without obtaining permission from the Court of appeal is incompetent and cannot be maintained.

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि वे अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार व्यथित है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियांद अधिनियम में स्वमेव अभिलिखित किया गया है कि प्रकरण जनहित व राज्यहित से संबंधित है। ऐसी स्थिति में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त नजीर मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।



(7) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से यह माना है कि प्रकरण में जहॉ तक सिलिंग से ज्यादा भूमि होने का प्रश्न है, उसके लिए सिलिंग कानून के तहत अलग से प्रक्रिया एवं प्रावधान निहित है। प्रार्थी/अपीलांट उक्त प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। अपीलांट आवंटन नियमों के तहत किसी प्रकार की राहत इस अपील के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत आदेश है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर दिनांक 15—12—2016 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर